## :: न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर (राजस्थान) ::

दिनांक : 08.07.2021

क्रमांक : स्था./2021/33

### –:: कार्यालय आदेश ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्रांक सामान्य/XV/54/2020/3325 दिनांक 30.05.2020 की पालना में एवं दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शशि गजराना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर एतद्द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए डूंगरपुर न्याय क्षेत्र के फौजदारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन के कार्य संपादन हेतु व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाने के आदेश पारित करती हूँ –

| क्र. सं. | न्यायालय जिसके क्षैत्राधिकार की कार्यवाही संपादित की जानी है | न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जिनके द्वारा कार्यवाही संपादित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। |
|---|---|---|
| **1.** | **2.** | **3.** |
| 1 | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |
| 2 | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |
| 3 | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर |
| 4 | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |
| 5 | न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा |
| 6 | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा |
| 7 | अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा |
| 8 | ग्राम न्यायालय, आसपुर | अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा |
| 9 | ग्राम न्यायालय, बिछीवाडा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |

कॉलम संख्या 3 में प्राधिकृत पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने पर अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी–

(1) कॉलम नं. 3 के क्र.सं. 1, 3, 5 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी के नहीं होने पर कॉलम नं. 2 में क्र.सं. 4 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य संपादन किया जायेगा। इस अधिकारी के भी नहीं होने पर कॉलम नं. 2 के क्र.सं. 6 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य संपादन किया जायेगा।

(2) कॉलम नं. 3 के क्र.सं. 6, 8, 9 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी के नहीं होने पर कॉलम नं. 2 में क्र.सं. 2 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य संपादन किया जायेगा। इस अधिकारी के भी नहीं होने पर कॉलम नं. 2 के क्र.सं. 5 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य संपादन किया जायेगा।

(3) कॉलम नं. 3 के क्र.सं. 2, 4, 7 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी के नहीं होने पर कॉलम नं. 2 में क्र.सं. 3 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य संपादन किया जायेगा। इस अधिकारी के भी नहीं होने पर कॉलम नं. 2 के क्र.सं. 8 पर उल्लेखित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य संपादन किया जायेगा।

(अ) किसी प्रकरण में माल अथवा मुलजिम की शिनाख्तगी की कार्यवाही हेतु दण्ड प्रकिया संहिता के नए संशोधित प्रावधानानुसार अन्तर्गत धारा 54क द.प्र.सं. के अनुसार की जावेगी। इस बाबत प्रार्थना पत्र संबंधित थाने के क्षैत्राधिकार वाले न्यायालय में ही पेश किया जायेगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए शिनाख्तगी की कार्यवाही उपलब्ध किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिये जायेंगे।

(ब) माननीय उच्चतम न्यायालय के SLP(CRI.)No.5073/2011 State of Karnataka Vs. Shivanna के पारित आदेश के निर्देशानुसार एवं प्रकिया की सुगमता के तहत धारा 164 द.प्र.सं. में लेखबद्ध कथन आई.ओ. द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, ऐसे कथनों की प्रति अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह उक्त कथनों में वर्णित तथ्यों को किसी पर जाहिर नहीं करेंगे, तुरन्त अनुसंधान अधिकारी को कथन लेखबद्ध करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध करायेंगे।

**नोटः– पीडिता के मुस्कान संस्थान डूँगरपुर में होने की स्थिति में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के बयान हेतु प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर द्वारा आदेश पारित किया जावेगा।**

–Sd–

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

डूँगरपुर (राज.)

क्रमांक : स्था./2021/492 दिनांक : 08.07.2021

**प्रतिलिपि –**

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को सूचित करने एवं पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
3. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/सागवाडा।
4. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/आसपुर/सीमलवाडा।
5. न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आसपुर/बिछीवाडा।
7. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, डूंगरपुर।
8. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, डूंगरपुर
9. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, डूंगरपुर।
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाईड पर डालने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड।
12. कार्यालय प्रति।

8-7-2021

**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**डूँगरपुर (राज.)**